उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग—5 संख्या—841 / पांच—5—2020 लखनऊः दिनांकः। 4 अप्रैल, 2020

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन

उप सचिव, भारत सरकार के पत्र संख्या—11034 / 01 / 2020—आईएस—4 दिनांक 11.04.2020 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या—10795/2020 दिनांक 08.04.2020 में निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के चिकित्सालयों में कोविड—19 के रोगियों के उपचार क्वारेन्टाइन सुविधाओं में कार्यरत तथा रोगियों की पहचान हेतु स्कीनिंग कार्य में लगे चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

3— अतः अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के कम में समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :यथोक्त।

0 4.20

(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख_{द्}सचिव।

संख्या-841(1)/पॉच-5-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
- 3. निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4. गार्ड फाइल।

(वेद प्रकाश राये

अनु सचिव।

ZKOLIJ- 841/41-4-5-2020

IMMEDIATE

No. 11034/01/2020-IS-IV GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS (INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

North Block, New Delhi. Date: 11.04.2020

To,

- 1. Chief Secretaries/ Administrators/ Advisers to Administrators, All State Governments/ Union Territories.
- 2. Directors General of Police, All States/ Union Territories.
- 3. Commissioner of Police, Delhi.

Madam/Sir,

Reference is invited to the Hon'ble Supreme Court's direction in WP (Civil) No. 10795/2020 dated 08.04.2020, which is as under:

"The Government of India, respective States/ Union Territories and respective Police authorities are directed to provide the necessary Police security to the Doctors and medical staff in Hospitals and places where patients who have been diagnosed COVID-19 or patients suspected of COVID-19 or those quarantined are housed. Necessary Police security be also extended to Doctors and other medical staff who visit places to conduct screening of people to find out symptoms of disease."

2. It is requested that necessary action may be taken for compliance of the said order.

Yours faithfully,

(Srinivasu K.)

Deputy Secretary to the Government of India

Copy to: PPS to HS/ PPS to JS (IS-I & WS). / Secretary (MINISTRY OF HEALTH.)

2.04.2020